छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 13–6/2016/आ.प्र/1–3 नया रायपुर, दिनांक 30/12/2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर्स,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
छत्तीसगढ़।

विषयः– अंग्रेजी में अधिसूचित अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति नामों का हिन्दी में उच्चारणगत विभेद (Phonetic Values) मान्य किए जाने के संबंध में निर्देश।

संदर्भः– इस विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 13–22/2012/आ.प्र./1–3, दिनांक 24.09.2013

इस विभाग के संदर्भित परिपत्र द्वारा छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 तथा उक्त अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) नियम, 2013 के प्रावधानों के तहत जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रकिया को सहज रूप से समझने की सुविधा के उद्देश्य से अनुपूरक व्यवस्था के रूप में निर्देश जारी किये गये हैं।

2/ यह पाया गया है कि अधिसूचित की गयी कतिपय अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जातियों के हिन्दी में स्थानीय बोली जनित उच्चारणगत/लेखन/ध्वन्यात्मक (Phonetic Values) विभेद पाए जाते हैं। अतः मूल रूप से अधिसूचित की गई अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के होने के बावजूद उक्त विभेद के अनुरूप राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टियां होने के कारण, संबंधित व्यक्ति को उसकी वास्तविक जाति का प्रमाण–पत्र जारी नहीं हो पा रहा है।

3/ उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा नीचे दर्शित तालिका के कॉलम 2 में छत्तीसगढ़ राज्य के लिए भारत सरकार द्वारा अंग्रेजी भाषा/लिपि में अधिसूचित की गई अनुसूचित जनजातियों/अनुसूचित जातियों में स्थानीय बोली के कारण कॉलम 4 में दर्शित उच्चारणगत/लेखन/ध्वन्यात्मक (Phonetic Values) को मान्य किया जाता हैः–

(अ) <u>अनुसूचित जनजाति</u>

क्र.	अधिसूचित जाति अंग्रेजी (रोमन लिपि) में	सूची में प्रविष्टि कमांक	उच्चारणगत/लेखन/ध्वन्यात्मक (Phonetic Values) विभेद
1.	2.	3.	4.
1.	**Bhuinhar**	05	भुइहर, भुइंहर,

क्रमशः 2 ...

2.	**Bharia, Bharia**	05	भरिया, भारीया,
3.	**Bhumia, Bhumiya, Bhumia**	05	भुईया, भुईयां, भुय्या, भूईया, भूईयाँ, भूयाँ, भूय्या, भियां
4.	**Pando**	05	पंडो, पण्डो, पन्डो
5.	**Bhunjia**	09	भुजिया
6.	**Biar, Biyar**	10	ब्यार
7.	**Dhanwar**	14	धनुवार, धनुहार
8.	**Gadaba, Gadba**	15	गदबा
9.	**Gond**	16	गोंड़, गोड़
10.	**Dhulia**	16	ढुलिया, ढोलिया, ढोलीया
11.	**Dorla**	16	दोरला
12.	**Kandra**	16	कंड़रा, कडंरा, कड़ंरा
13.	**Nagwanshi**	16	नगवंसी / नगवन्सी, नगबंसी, नगवासी, नगवंशी, नागबंशी, नगबंशी, नंगवसी, नागबंसी, नगवसी, नागवंसी, नांगवसी, नगबासी, नगबन्सी, नागवन्सी, नागबसि, नागबसि, नगबसी
14.	**Halba**	17	हल्बा, हल्वा
15.	**Tanwar**	20	तंवर, तवर
16.	**Khairwar**	21	खेरवार, खरवार
17.	**Kondh**	23	कोंद, कोन्द
18.	**Kodaku**	27	कोड़ाकू
19.	**Majhi**	28	माझी
20.	**Dhangad**	33	धागड़
21.	Pathari	35	पठारी
22.	Sawara	41	सौरा, सौवरा, सौंरा, संवरा, सहरा, सँवरा, साँवरा

(ब) अनुसूचित जाति

क्र.	अधिसूचित जाति अंग्रेजी (रोमन लिपि) में	सूची में प्रविष्टि कमांक	उच्चारणगत / लेखन / ध्वन्यात्मक (Phonetic Values) विभेद
1.	2.	3.	4.
1.	**Audhelia**	01	औढेलिया, अढ़ोलिया, अढ़ौलिया, अढ़ोरिया
2.	**Dharkar**	11	धरिकार
3.	**Chadar**	13	चंडार, चंड़ार, चडार, चन्डार, चँडार, चण्डार
4.	**Ganda**	24	गाड़ा, गांडा, गाँड़ा, गाडा
5.	**Mahar**	33	महरा, माहरा, महारा, माहारा

4/ वर्तमान में किसी व्यक्ति द्वारा किसी अधिसूचित की गयी जाति का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने पर यदि उसकी जाति की पुष्टि राजस्व अभिलेखों में जाति के संबंध में अंकित प्रविष्टियों से होती है, तो उसे सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र (जाति प्रमाण पत्र) प्रदान कर दिया जाता है। परन्तु यदि आवेदन का परीक्षण करने पर यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा आवेदित (अधिसूचित) जाति के अनुरूप उसकी जाति का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित नहीं है, अपितु राजस्व अभिलेखों में

कमशः 3 ...

अंकित उसकी जाति में उपरोक्त तालिका में दर्शित मान्य उच्चारणगत/लेखन/ध्वन्यात्मक (Phonetic Values) विभेद होना पाया जाता है, तो ऐसे मामलों में जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जाए:–

(i) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ 13–22/2012/आ.प्र./1–3, दिनांक ,24.9.2013 में विहित निर्देशों एवं निर्धारित प्रकिया अनुसार परीक्षण कर आवेदक की वास्ताविक जाति के संबंध में जांच की जाए।

(ii) जांच में यदि इस बात की पुष्टि होती हो कि आवेदक उसी अधिसूचित जाति का है, जिसके लिए उसने आवेदन किया है, तो राजस्व अभिलेखों में अंकित उसकी जाति नाम में उच्चारणगत/लेखन/ध्वन्यात्मक (Phonetic Values) विभेद को इस परिपत्र की कंडिका 3 में प्रदान की गयी मान्यता के आधार पर आवेदक को अधिसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी किया जाए।

(iii) इस प्रकार जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र में नियत स्थान पर अधिसूचित जाति का नाम केवल अंग्रेजी भाषा (रोमन लिपि) में ही अंकित किया जाए।

5/ यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त निर्देश केवल ऐसे मामलों में लागू होंगे, जिनमें परीक्षण उपरांत आवेदक वास्तव में अधिसूचित जाति का होना पाया जाए। परन्तु उसके राजस्व अभिलेखों में उपरोक्त कंडिका 3 की तालिका के कॉलम 4 में उल्लेखित मान्यता प्राप्त उच्चारणगत/लेखन/ध्वन्यात्मक (Phonetic Values) विभेद के अनुरूप शब्द विन्यास अंकित हों।

6/ कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

30/12/17

(एम.आर.ठाकुर)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क.एफ 13–6/2016/आ.प्र/1–3 **नया रायपुर, दिनांक 30/12/2017**

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर ।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर ।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर ।
4. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर ।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर ।
6. समस्त विशेष सहायक/निज सचिव, मान. मंत्रीगण/संसदीय सचिवगण मंत्रालय, नया रायपुर।
7. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर ।

कमशः 4 ...

8. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर ।
9. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग, गांधी चौक, रायपुर।
10 मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
11. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर ।
12 संचालक, जनसंपर्क, रायपुर ।
13. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली ।
14. सचिव, समस्त आयोग/निगम/मंडल, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
15. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग/अनुसूचित जनजाति आयोग/ अन्य पिछड़ा ,वर्ग आयोग, रायपुर ।
16. अवर सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर।
17. अध्यक्ष, जाति प्रमाण–पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति, आदिम जाति तथा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर, रायपुर।
18. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट www.cg.nic.in/gad पर अपलोड करने हेतु।

3/12/17

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग